वास्ते आदेश ।।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

2/5/18 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया, जो शामिल रहे। निर्णय अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 682 रकबा 0-16, 555 रकबा 1-07 बीघा वाके ग्राम करवड तह. कोटकासिम से अमोलाल S/o दातारोम आर पेट(?) खाता नं. 14 खसरा नं. 682, व 555 इन्द्राज किया जाता है राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पर्चा डिक्री बनाई जो शामिल रहे पत्रा० फैसला अनुसार होकर बाद तकमील जमा रिकार्ड दाखिल आवे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
32 / 2017	6.04.2017	02/05/18

अनुवान

1. अतर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह उम्र करीब 58 साल जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:–वादी

बनाम

1. भोलू
2. हरिराम
3. हुक्म सिंह पुत्रान नत्थू पोत्रान अमीलाल
4. सोनू पुत्र रामेश्वर पोत्र नत्थू प्रपोत्र अमीलाल जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:– असल प्रतिवादीगण

6. धन्नालाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:–तर0 प्रति0

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा
88, 89 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादी

वादी ने मय वकील उपस्थित होकर एक वाद इस न्यायालय में इस आशय को पेश किया कि हाल आराजी ख0 सं0 682 रकबा 0.16 बीघा दरज खाता सं0 134, ख0सं0 555 रकबा 1.07 बीघा दरज खाता सं0 432 वाके ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है कि जो आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से जानी जावेगी वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी व ख0 गि0 संवत 2071–74 लफे हाजा है। विवादित आराजी में जो हिस्सा रघुवीर पुत्र हरिसिंह का था जिनके द्वारा अपना समस्त हक हिस्सा रघुवीर पुत्र हरिसिंह तर0 प्रति0 को रिलीज डीड कर दिया गया है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में हम वादी व तर0 प्रति0 सहहिस्सेदार काश्तकार है। मोके पर अपने हिस्से अनुसार हम काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। असल प्रति0 का विवादित आराजी से ना तो कोई संबंध व

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

सरोकार था और ना ही है। तथा ना असल प्रति0 के बुजुर्गान अमीलाल का भी कब्जा काश्त था। आराजी ख0 सं0 555 के हिस्सेदार सतपाल, सुखपाल, अजयपाल, जयपाल से कोई रिलीफ नही चाहिए गई है इसलिए उनको वाद में पक्षकार नही बनाये गये है। विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदीयात में सहवन से राजस्व कर्मचारीयान व अधिकारीयान द्वारा अमीलाल पुत्र दाताराम जाट सा0 देह सिकमी साल 14 ख0 682, 555 दर्ज कर दिया गया है। जो खिलाफ मोका एवं खिलाफ कानुनी है चुंकि उक्त सिकमी अमीलाल फोत हो चुका है इसलिए उनके विधिक वारिसान को वाद में असल प्रति0 की जद में दरज किया गया है। राजस्व रिकार्ड हाल जमांदी में जो राजस्व कर्मचारीयान अधिकारीयान द्वारा असल प्रति0 1 लगायत के बुजुर्ग पिता/दादा अमीलाल का जो अंकन शिकमी साल 14 दरज किया गया है। कि जिस अंकन के रहने से मिन वादी व तर0 प्रति0 के अधिकारो पर कुठाराघात होता है। इसलिए मिन वादी व तर0 प्रति0 ने असल प्रति0 ने असल प्रति0 से उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु कहा जो आज कल आज कल कह कर टाल बाल रहे । लेकिन अब दिनांक 08.03.2017 को सक्षम न्यायालय से दुरूस्त कराने हेतु कहा है। मिन वादी व तर0 प्रति0 के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी व तर0 प्रति0 उक्त गलत अमल को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज करना लाजिम आया । अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है की विवादित आराजी से अमीलाल पुत्र दाताराम सा0 देह सिकमी साल 14 ख0न0 682, 555 हजफ किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 व 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही इसलिए इनके खिलाफ दिनांक 06.12.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिसमें अंकित किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है। राज्य सरकार का कोई हित निहित नही है। विवादित आराजी बैंक रहन है। इसलिए बैंक को सुना जाना आवश्यक है।

बहस विद्वान अधिवकता वादी सुनी गई। विद्वान अधिवकता ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी हाल ख0 सं0 682 रकबा 0.16 बीघा दरज खाता सं0 134, ख0सं0 555 रकबा 1.07 बीघा दरज खाता सं0 432 वाके ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है कि जो आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से जानी जावेगी वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी व ख0 गि0 संवत 2071–74 लफे हाजा है। विवादित आराजी में जो हिस्सा रघुवीर पुत्र हरिसिंह का था जिनके द्वारा अपना समस्त हक हिस्सा रघुवीर पुत्र हरिसिंह तर0 प्रति0 को रिलीज डीड कर दिया गया है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में हम वादी व तर0 प्रति0 सहहिस्सेदार काश्तकार है। मोके पर अपने हिस्से अनुसार हम काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। असल प्रति0 का विवादित आराजी से ना तो कोई संबंध व सरोकार था और ना ही है। तथा ना असल प्रति0 के बुजुर्गान अमीलाल का भी कब्जा काश्त था। आराजी ख0 सं0 555 के हिस्सेदार सतपाल, सुखपाल, अजयपाल, जयपाल से कोई रिलीफ नही चाहिए गई है इसलिए उनको वाद में पक्षकार नही बनाये गये है। विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदीयात में सहवन से राजस्व कर्मचारीयान व अधिकारीयान द्वारा अमीलाल पुत्र दाताराम जाट सा0 देह सिकमी साल 14 ख0 682, 555 दर्ज कर दिया गया है। जो खिलाफ मोका एवं

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

खिलाफ कानुनी है चुंकि उक्त सिकमी अमीलाल फोत हो चुका है इसलिए उनके विधिक वारिसान को वाद में असल प्रति0 की जद में दरज किया गया है। राजस्व रिकार्ड हाल जमांदी में जो राजस्व कर्मचारीयान अधिकारीयान द्वारा असल प्रति0 1 लगायत के बुजुर्ग पिता/दादा अमीलाल का जो अंकन शिकमी साल 14 दरज किया गया है। कि जिस अंकन के रहने से मिन वादी व तर0 प्रति0 के अधिकारो पर कुठाराघात होता है। इसलिए मिन वादी व तर0 प्रति0 ने असल प्रति0 ने असल प्रति0 से उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु कहा जो आज कल आज कल कह कर टाल बाल रहे । लेकिन अब दिनांक 08.03.2017 को सक्षम न्यायालय से दुरूस्त कराने हेतु कहा है। मिन वादी व तर0 प्रति0 के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी व तर0 प्रति0 उक्त गलत अमल को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज करना लाजिम आया । अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है की विवादित आराजी से अमीलाल पुत्र दाताराम सा0 देह सिकमी साल 14 ख0न0 682, 555 हजफ किया जावे।

विद्वांन अधिवकता वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व संलग्न सदस्तावेजात का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में विवादित आराजीयात ख0न0 555 रकबा 1–07 बीघा मे अन्य खातेदारान के साथ अतर सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 1/4 कोम जाट सा0 देह खातेदार अमीलाल पुत्र दाताराम जाट सा0 देह सिकमी साल 14 ख0न0 555 एवं ख0न0 682 रकबा 0–16 बीघा में अतर सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 1/4 कोम जाट सा0 देह खातेदार अमीलाल पुत्र दाताराम जाट सा0देह सिकमी साल 14 ख0न0 682 दर्ज रिकॉर्ड है। वादी विवादित आरजीयात में खातेदार दर्ज है। इसलिए दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विवादित आराजी ख0न0 682 रकबा 0–16, 555 रकबा 1–07 बीघा वाके ग्राम करवड़ तहसील कोटकासिम से अमीलाल पुत्र दाताराम जाट सा0 देह सिकमी साल 14 ख0न0 682 व 555 हजफ किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/15/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2017	6.04.2017	02/05/18

अनुवान

1. अतर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह उम्र करीब 58 साल जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:–वादी

बनाम

1. भोलू
2. हरिराम
3. हुक्म सिंह पुत्रान नत्थू पोत्रान अमीलाल
4. सोनू पुत्र रामेश्वर पोत्र नत्थू प्रपोत्र अमीलाल जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:– असल प्रतिवादीगण

6. धन्नालाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:–तर0 प्रति0

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा
88, 89 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादी

अतः विवादित आराजी ख0न0 682 रकबा 0–16, 555 रकबा 1–07 बीघा वाके ग्राम करवड़ तहसील कोटकासिम से अमीलाल पुत्र दाताराम जाट सा0 देह सिकमी साल 14 ख0न0 682 व 555 हजफ किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/5/18 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय श्रीमान् उप खण्डाधिकारी महोदय,
कोटकासिम

उनवान–: अतरसिंह बनाम भोलू वगैरा
प्रकरण संख्या–29/2017
जबाब दावा प्रति0 सं0–06

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
बमय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88,89 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955।

महोदय,

मा0 न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे सरकार जर्ये तहसीलदार कोटकासिम की ओर से बिन्दुवार जबाब इस प्रकार है।–:

1. जिमन नम्बर–01 वादीगण द्वारा पैरा मे जिस प्रकार वर्णन किया है, केवल इतना स्वीकार है कि वाद मे अंकित आराजी खसरा नम्बर 682/0.16 बीधा ग्राम करवड तह0 कोटकासिम मे स्थित है। शेष पैरा मे वादी द्वारा जिस प्रकार वर्णन किया है, स्वंय सिद्व करें।
2. जिमन न0–2पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
3. जिमन न0–3,पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
4. जिमन न0–4, पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
5. जिमन न0 5, पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
6. जिमन न0–6 कानूनी है।
7. जिमन न0–7 कानूनी है।
8. जिमन न0–8 कानूनी है।
9. जिमन न0–9 वाद मे अंकित आराजी बाबत वाद पक्षकारान के मद्दे है। आराजी बैंक रहन दर्ज रिकार्ड है। अतः सम्बन्धित बैंक को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना अपेक्षित है।

पैरोकार सरकार
जर्ये नायब तहसीलदार
कोटकासिम

Scanned by CamScanner

न्यायालय श्रीमान् उप खण्डाधिकारी महोदय,
कोटकासिम

उनवान–: अतरसिंह बनाम भोलू वगैरा
प्रकरण संख्या–29/2017
जबाब दावा प्रति0 सं0–06

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
बमय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88,89 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955।

महोदय,

मा0 न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे सरकार जर्ये तहसीलदार कोटकासिम की ओर से बिन्दुवार जबाब इस प्रकार है।–:

1. जिमन नम्बर–01 वादीगण द्वारा पैरा मे जिस प्रकार वर्णन किया है, केवल इतना स्वीकार है कि वाद मे अंकित आराजी खसरा नम्बर 682/0.16 बीधा ग्राम करवड तह0 कोटकासिम मे स्थित है। शेष पैरा मे वादी द्वारा जिस प्रकार वर्णन किया है, स्वंय सिद्व करें।
2. जिमन न0–2पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
3. जिमन न0–3,पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
4. जिमन न0–4, पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
5. जिमन न0 5, पैरा विवरणात्मक है। वादीगण स्वंय सिद्व करें।
6. जिमन न0–6 कानूनी है।
7. जिमन न0–7 कानूनी है।
8. जिमन न0–8 कानूनी है।
9. जिमन न0–9 वाद मे अंकित आराजी बाबत वाद पक्षकारान के मद्दे है। आराजी बैंक रहन दर्ज रिकार्ड है। अतः सम्बन्धित बैंक को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना अपेक्षित है।

पैरोकार सरकार
जर्ये नायब तहसीलदार
कोटकासिम

Act

10/1/18

Scanned by CamScanner